



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]
No. 502]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2007/कार्तिक 24, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2007/KARTIKA 24, 1929

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2007

सा.का.पि. 716(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का पंजाब अधिनियम सं. 17) और भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का पंजाब अधिनियम सं. 17) को इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त रूप में निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपान्तरण

- (1) भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 1 की उप-धारा (1) में, "भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1994" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में यथा विस्तारित भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1994" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1998 की धारा 1 की उप-धारा (1) में, "भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1998" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में यथा विस्तारित भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1998" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[सं. यू-11015/1/06-यूटीएल]
बी. ए. कुटीनो, संयुक्त सचिव

भाग 1
विधि और विधायी कार्य विभाग,
पंजाब
अधिसूचना

तारीख 21 जुलाई, 1998

सं. 22. विधायी/1998.—पंजाब सरकार के विधान मंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 21 जुलाई, 1998 को पंजाब के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी और इसे साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1998
(पंजाब अधिनियम सं. 1998 का 17)

अधिनियम

भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 का उसके पंजाब राज्य पर लागू करने में और संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टॉप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1998 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क में उसका पंजाब राज्य पर लागू करना— 1899 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की अनुसूची 1-क का संशोधन

(1) "समुचित स्टॉप शुल्क" के रूप में शीर्षक स्तंभ के अधीन प्रविष्टि 1 में "पांच रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

- “पांच रुपए” शब्दों के स्थान पर “पचास रुपए ” शब्द रखे जाएंगे ।
- (ii) “समुचित स्टॉप शुल्क” के रूप में शीर्षित स्तंभ के अधिन प्रविष्टि 4 में “पांच रुपए” शब्दों के स्थान पर “पंद्रह रुपए ” शब्द रखे जाएंगे ।
- (iii) प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् -

लिखत का वर्णन	समुचित स्टॉप शुल्क
“5 किसी करार का करारनामा या ज्ञापन	
(क) यदि विनिमय पत्र के विक्रय से संबंधित है -	पच्चीस रुपए
(ख) यदि किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में किस सरकारी प्रतिभूति या शेयर के विक्रय से संबंधित है ;	प्रतिभूति या शेयर तक मूल्य का प्रत्येक दस हजार या उसके भाग के लिए पांच रुपए
(ग) यदि स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित है	तीन सौ रुपए
(घ) यदि अन्यथा उपबंधित नहीं है, के लिए	पन्द्रह रुपए

छूटें :

किसी करार का करारनामा या ज्ञापन -

(क) अनन्यरूप से माल या वाणिज्यिक माल के विक्रय के लिए या संबंध में , जो प्रविष्टि सं० 43 के अधीन ज्ञापन प्रभार्य का टिप्पण नहीं है ; और

(ख) किसी उधार के लिए या उसके संबंध में केन्द्रीय सरकार को उधार लेने वालों के रूप में किया गया है ” ;

(iv) प्रविष्टि 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

लिखत का वर्णन	समुचित स्टॉप शुल्क
“10. किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद	
(क) जब किसी कंपनी की प्राधिकृत पूंजी एक लाख रुपए से अधिक न हो ; और	पांच सौ रुपए
(ख) अन्य मामलों में	एक हजार रुपए
छूटें :	
किसी संगम का अनुच्छेद जो लाभ के लिए नहीं बनाई गई है और रजिस्ट्रीकृत की गई है	

किसी कंपनी के संगम के ज्ञापन को भी देखें ।

v. प्रविष्टि 48 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

लिखत का वर्णन	समुचित स्टांप शुल्क
“48. धारा 2(21) द्वारा यथा परिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है (प्रविष्टि सं० 52),	
(क) जब उसका निष्पादन किसी एकल संव्यवहार के संबंध में एक या अधिक दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को एकमात्र उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे दस्तावेजों के एक या अधिक के निष्पादन को स्वीकार करने के लिए किया जाए ;	एक सौ रुपए
(ख) जब प्रेसीडेन्सी लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अधीन वादों या कार्यवाहियों में अपेक्षित हो,	एक सौ रुपए
(ग) जब एक या अधिक व्यक्तियों को खंड (क) में उल्लिखित मामले से भिन्न एकल संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाए,	तीन सौ रुपए
(घ) जब पांच से अनाधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से एक से अधिक संव्यवहार में या साधारणतया कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाए,	तीन सौ रुपए
(ङ) जब पांच से अधिक और दस से अनाधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से एक से अधिक संव्यवहार में या साधारणतया कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाए,	छह सौ रुपए
(च) जब अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में विचार करने और प्राधिकृत करने के लिए दिया जाए,	वही शुल्क जो अन्य हस्तांतरणों (प्रविष्टि सं० 23) में इस अधिनियम के द्वारा प्रतिफल की रकम के लिए उद्गृहित किया गया शुल्क
(छ) किसी अन्य मामले में	पचहत्तर रुपए
	कृपया ध्यान दें “रजिस्ट्रीकरण” पद के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से प्रत्येक प्रचालन, आनुषंगिक सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को, जब वे उसी फर्म के हों, एक व्यक्ति समझा जागा । ” ।

(एस.एस.ग्रेवाल)
पंजाब सरकार के सचिव
विधि कार्य और विधायी कार्य विभाग

भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1994

(पंजाब अधिनियम सं० 1994 का 17)

राष्ट्रपति की 15 जून, 1994 को सहमति प्राप्त हुई और पहली बार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), विधायी अनुपूरक, तारीख 23 जून, 1994 को प्रकाशित किया गया था]

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899¹ का उसके पंजाब राज्य पर लागू करने में और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1994 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में उसके पंजाब राज्य में लागू होने पर -

1899 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 2 की धारा 27 का संशोधन

(i) मूल अधिनियम की धारा 27 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2) संपत्ति के मूल्य पर मूल्यानुसार प्रभार्य स्थावर संपत्ति से संबंधित लिखत की दशा में और न कि लिखत में लिए गए मूल्य पर, लिखत में पूर्ण रूप से और वास्तविक रूप से राजस्व संदाय भूमि की दशा में वार्षिक भूराजस्व, वार्षिक भाटक या सकल आस्तियां, यदि कोई हों, दी जाएंगी, किसी अन्य स्थावर संपत्ति की दशा में स्थानीय दरें, नगरपालिक या अन्य कर, यदि कोई हों, जिनके लिए ऐसी संपत्ति प्रभारित की जा सकेगी, और कोई अन्य विशिष्टियां जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं ।” ;

(ii) धारा 47क में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

1899 के अधिनियम सं० 2 की धारा 47क का संशोधन

“(3) कलक्टर स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 16, के अधीन नियुक्त किसी जिला के रजिस्ट्रार से जिसकी अधिकारिता में कोई संपत्ति या उसका भाग है, जो लिखत की विषयवस्तु है, स्थित है, से प्राप्त निर्देश या भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त या अन्यथा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के मूल्य की सत्यता या प्रकटित प्रतिफल तथा लिखत की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाले सभी अन्य तथ्यों और परिस्थितियों या उसके वास्तविक लक्षणों या वर्णन के संबंध में और शुल्क की वह रकम जिसके लिए यह प्रभार्य है, किसी लिखत को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि समुचित

शुल्क का संदाय नहीं किया गया है तो वह संबद्ध व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् और उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति में जांच करने के पश्चात् वह संपत्ति के मूल्य या प्रतिफल या लक्षण या लिखत के वर्णन और वह शुल्क जिसके साथ वह प्रभार्य था, तथा शुल्क की रकम में कमी, यदि कोई हो का अवधारण कर सकेगा, जो उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जो उस शुल्क के संदाय के लिए दायी है। ” ; और

(iii) अनुसूची 1-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 में अनुसूची 1-क का प्रतिस्थापन।

“अनुसूची 1 क

(धारा 3 देखिए)

टिप्पण अनुसूची 1-क में वस्तुएं संख्यांकित हैं ताकि वे अनुसूची 1 में उन्ही वस्तुओं के अनुरूप हों।

लिखतों का वर्णन (1)	उचित स्टाम्प शुल्क (2)
1. अभिस्वीकृति किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपए से अधिक की जो ऋणि द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो; परंतु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का, अनुबंध अंतर्विष्ट नहीं है।	पांच रुपए
2. प्रशासन-बंधपत्र, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक ऐक्ट, 1873 की धारा 6 या इंडियन सक्सेशन ऐक्ट, 1925 की धारा 291, 375 और 376 :- (क) जहां कि उसकी रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ; (ख) किसी अन्य मामले में.	वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिए बंधपत्र (सं0 15) पर लगता है। पंद्रह रुपए
3. दत्तक विलेख, अर्थात् कोई लिखत (विल से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है। अधिवक्ता,- अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि (सं0 30) देखिए।	दो सौ रुपए
4. शपथ-पत्र जिसके अंतर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में जो शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है, कोड प्रतिज्ञान या घोषणा है।	पांच रुपए

छूटें

लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जब कि वह—

- (क) सेना अधिनियम, 1950 या वायुसेना अधिनियम, 1950 के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में ;
 (ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने या उपयोग में लाए जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए ; या
 (ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त कराने के लिए शर्त बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए, की गई है ।

5. करार या करार का ज्ञापन—

- (क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है ; पांच रुपए ।
 (ख) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय में या किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के विक्रय से संबंधित है ; अधिकतम तेइस रुपए, के अध्याधीन रहते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक आना ।
 (ग) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है । तीन रुपए ।

छूटें

करार या करार का ज्ञापन—

- (क) जो अनन्यतः मालय या वाणिज्य के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है और सं० 43 के अधीन प्रभाव नोट या ज्ञापन नहीं है ;
 (ख) जो केन्द्रीय सरकार को किन्हीं ऐसे निविदाओं के रूप में किए गए हैं जो किसी उधार के लिए है या उससे संबंधित है ।

पट्टे के लिए करार — पट्टा (सं० 35) देखिए ।

6. हक-विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार को साक्षित करने वाली कोई लिखत—

- (1) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी भी संपत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक का साक्ष्य हो जाता है ; या
 (2) जंगम संपत्ति का पण्यम् या गिरवी, जहां कि ऐसा निक्षेप, पण्यम् या गिरवी, उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है—
 (क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्षित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है ;
 (i) जब उधार या ऋण की रकम 200 रुपए से अधिक एक रुपए नहीं है ;
 (ii) जब यह 200 रुपए से अधिक हो लेकिन 400 दो रुपए रुपए से अधिक न हो
 जब यह 400 रुपए से अधिक हो लेकिन 600 रुपए से अधिक न हो
 जब यह 600 रुपए से अधिक हो लेकिन 800 रुपए से अधिक न हो ;
 जब यह 800 रुपए से अधिक हो लेकिन 1000 रुपए से अधिक न हो ;
 जब यह 1000 रुपए से अधिक हो लेकिन 1200 रुपए चार रुपए से अधिक न हो ;

- जब यह 1200 रुपए से अधिक हो लेकिन 1600 रुपए पांच रुपए से अधिक न हो ;
जब यह 1600 रुपए से अधिक हो लेकिन 2500 रुपए सात रुपए से अधिक न हो
जब यह 2500 रुपए से अधिक हो लेकिन 5000 रुपए तेरह रुपए से अधिक न हो ;
जब यह 5000 रुपए से अधिक हो लेकिन 7500 रुपए उन्नीस रुपए से अधिक न हो ;
जब यह 7500 रुपए से अधिक हो लेकिन 10000 रुपए पच्चीस रुपए से अधिक न हो ;
जब यह 10000 रुपए से अधिक हो लेकिन 15000 अड़तीस रुपए रुपए से अधिक न हो ;
जब यह 15000 रुपए से अधिक हो लेकिन 20,000 पचास रुपए रुपए से अधिक न हो ;
जब यह 20,000 रुपए से अधिक हो लेकिन 25000 बासठ रुपए रुपए से अधिक न हो ;
जब यह 25000 रुपए से अधिक हो लेकिन 30,000 सतहत्तर रुपए रुपए से अधिक न हो ;
और प्रत्येक अतिरिक्त 10,000 रु० या उसके भाग में पच्चीस रुपए 30,000 रु० से अधिक

(ख) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं है । प्रतिभूति रकम के लिए खंड (क) (i) या खंड (क) (ii) के अधीन उधार या ऋण पर संदेय शुल्क का आधा

छूटें

माल के पण्यम् या गिरदी की कोई लिखत यदि वह अननुप्रमाणित हो ।]

7. मुख्तारनामा के निष्पादन में— न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति का नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो बिल न हो, किया गया हो । अड़तीस रुपए
8. आंकना या मूल्यांकन जो किसी बाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जा कर अन्यथा किया गया है—
- (क) जहां कि रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ; वहीं शुल्क, जो ऐसी रकम के बाटोमरी बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है ।
- (ख) किसी अन्य मामले में. पंद्रह रुपए ।

छूटें

(क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है ;

(ख) माटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना ।

9. शिक्षता विलेख, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो अनुसूची 1 के अनुसार किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अघ्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी

वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है किन्तु जो शिक्षता नियमावली (सं० 11) नहीं है।

छूटें

शिक्षता-लिखत, जो 117एप्रिण्टिसेज ऐक्ट, 1850 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षा रखा गया है।

10. कंपनी के संगम-अनुच्छेद

(क) जब कंपनी की प्राधिकृत पूंजी एक लाख से अधिक साठ रुपए।
नहीं ;

(ख) अन्य मामलों में एक सौ बीस रुपए

छूटें

ऐसे संगम के अनुच्छेद जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया है और जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

कंपनी संगम का ज्ञापन भी देखें

(सं० 39)

11. कर्कशिप की नियमावली

अनुसूची 1 के अनुसार

समभुदेशन—यथास्थिति, हस्तान्तरण-पत्र (सं० 23),
अंतरण (सं० 62) और पट्टे का अंतरण (सं० 63)
देखिए।

अटर्नी—अटर्नी, (सं० 30) और मुख्तारनामा (सं० 3)
देखिए।

दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार—दत्तक-विलेख (सं० 3)
देखिए।

12. पंचाट अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है—

(क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है, रकम या मूल्य, जो ऐसे पंचाट में उपवर्णित हो, 1,000

(ख) यदि यह 1000 रु० से अधिक है लेकिन 5000 रु० से अधिक नहीं है ;

वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है।

पंद्रह रुपए

और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 या उसके भाग के लिए 5000 रु० से अधिक

दो रुपए, 113 रु० अधिकतम के अधीन

13. विनियम पत्र।

अनुसूची 1 के अनुसार

14. वहन-पत्र (जिसके अंतर्गत परगामी वहन-पत्र आता है)।

अनुसूची 1 के अनुसार

15. बंधपत्र जैसा कि धारा 2(5) द्वारा परिभाषित किया गया है किन्तु जो डिबेंचर (सं० 27) नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया है—

जहां कि प्रतिभूत रकम या मूल्य 500 रुपए से अधिक नहीं है ;

दस रुपए

जहां कि वह 500 रुपए से अधिक है और 1000 रुपए से अधिक नहीं है ;

बीस रुपए

और प्रत्येक 500 रु० के लिए या उसके भाग के लिए प्रशासन-बंधपत्र (सं० 2), पोत बंधपत्र (सं० 16),

दस रुपए

सीमाशुल्क बंधपत्र (सं० 26), क्षतिपूर्ति बंधपत्र (सं० 34), जहाजी माल बंधपत्र (सं० 56), प्रतिभूति बंधपत्र (सं० 57) देखिए।

छूटें

बंधपत्र जबकि वह निम्नलिखित द्वारा निष्पादित किया जाए—

किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्व औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों व्युत्पन्न हुई स्थानीय आय प्रति मास किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।

16. पोत-बंधपत्र—अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिससे वह पोत का परिष्कार करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।
- | | |
|---|-------------|
| जहाँ रकम या प्रतिभूत मूल्य 10 रुपए से अधिक नहीं है | एक रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 10 रुपए से अधिक है और 50 रुपए से अधिक नहीं है ; | एक रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 50 रुपए से अधिक है और 100 रुपए से अधिक नहीं है ; | दो रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 100 रुपए से अधिक है और 200 रुपए से अधिक नहीं है ; | तीन रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 200 रुपए से अधिक है और 300 रुपए से अधिक नहीं है ; | चार रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 300 रुपए से अधिक है और 400 रुपए से अधिक नहीं है ; | पांच रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 400 रुपए से अधिक है और 500 रुपए से अधिक नहीं है ; | छह रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 500 रुपए से अधिक है और 600 रुपए से अधिक नहीं है ; | सात रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 600 रुपए से अधिक है और 700 रुपए से अधिक नहीं है ; | आठ रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 700 रुपए से अधिक है और 800 रुपए से अधिक नहीं है ; | नौ रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 800 रुपए से अधिक है और 900 रुपए से अधिक नहीं है ; | ग्यारह रुपए |
| जहाँ यह प्रतिभूत मूल्य 900 रुपए से अधिक है और 1000 रुपए से अधिक नहीं है ; | बारह रुपए |
| और प्रत्येक 500 रुपए के लिए को अपने भाग के लिए 1000 रुपए से अधिक है। | छह रुपए |
17. रद्द कर देने की लिखत (जिसके अंतर्गत ऐसी कोई लिखत है जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्द कर दी गई है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है निर्मुक्ति (सं० 55) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण (सं० 58ख), पट्टे का अभ्यर्पण (सं० 61), न्यास का प्रतिसंहरण (सं० 64ख) भी देखिए।

18. (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में वही शुल्क जो केवल क्रय-धन की रकम के बराबर नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) विक्रय-प्रमाणपत्र जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है— प्रतिफल वाले हस्तान्तरण (सं० 23) लेखे लगता है ।
19. प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज, जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कंपनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्ट्रिप या स्टाक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है । दस रुपए
- शेयरों का आर्बटन पत्र (सं० 36) भी देखिए ।
20. भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात् (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खंड हो या न हो । पंद्रह रुपए
22. प्रमशन विलेख, अर्थात्, किसी ऋणी द्वारा निष्पादित किसी लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रश्मन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदों के लिए, चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है । तीस रुपए
23. हस्तान्तरण-पत्र धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है जिसके लेखे संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई,— जहां हस्तान्तरण पत्र अन्य हस्तान्तरण-पत्र का है ।
- जहां कि ऐसे हस्तान्तरण के लिए प्रतिफल की रकम या

1	2	3
मूल्य, जैसा हस्तान्तरण-पत्र में उपवर्णित है, 50 रुपए से अधिक नहीं है ;	सात रुपए	तीन रुपए
जहां कि वह 50 रुपए से अधिक है, किन्तु 100 रुपए से अधिक नहीं है ;	तेरह रुपए	तीन रुपए
जहां कि वह 100 रुपए से अधिक है, किन्तु 200 रुपए से अधिक नहीं है ;	पच्चीस रुपए	छह रुपए
जहां कि वह 200 रुपए से अधिक है, किन्तु 300 रुपए से अधिक नहीं है ;	अड़तीस रुपए	नौ रुपए
जहां कि वह 300 रुपए से अधिक है, किन्तु 400 रुपए से अधिक नहीं है ;	पचास रुपए	बारह रुपए
जहां कि वह 400 रुपए से अधिक है, किन्तु 500 रुपए से अधिक नहीं है ;	तिरसठ रुपए	पचास रुपए
जहां कि वह 500 रुपए से अधिक है, किन्तु 600 रुपए से अधिक नहीं है ;	पिछ्तर रुपए	अठारह रुपए

जहाँ कि वह 600 रुपए से अधिक है, किन्तु 700 रुपए से अधिक नहीं है ;	अठ्ठासी रुपए	इक्कीस रुपए
जहाँ कि वह 700 रुपए से अधिक है, किन्तु 800 रुपए से अधिक नहीं है ;	एक सौ रुपए	चौबिस रुपए
जहाँ कि वह 800 रुपए से अधिक है, किन्तु 900 रुपए से अधिक नहीं है ;	एक सौ तेरह रुपए	सत्ताईस रुपए
जहाँ कि वह 900 रुपए से अधिक है, किन्तु 1000 रुपए से अधिक नहीं है ; और	एक सौ पच्चीस रुपए	तीस रुपए
जहाँ कि वह 500 रुपए से अधिक है, किन्तु 1000 रुपए से अधिक नहीं है ;	तिरसठ रुपए	पंद्रह रुपए

छूटें

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 18 के अधीन की गई प्रविष्टि द्वारा प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन ।

सह-भागीदारी-विलेख, भागीदारी (सं0 46) देखिए ।

24. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है—
- (i) यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या यदि वह शुल्क जो उस पर प्रभार्य है, दो रुपए से अधिक नहीं है ;
- (ii) किसी अन्य मामले में जो धारा 6क के भीतर उपबंधों के अधीन नहीं आता है

पांच रुपए

पांच रुपए

छूटें

(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाए या दे ।

(ख) जन्मों, दफतीस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह विच्छेदों, मृत्युओं या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की, या उसमें के किसी उद्धरण की प्रति ।

25. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति,—

(क) यदि वह शुल्क, जो मूल लिखत पर प्रभार्य है, दो रुपए से अधिक नहीं है ;

पांच रुपए

(ख) किसी अन्य मामले में जो धारा 6क के उपबंधों के भीतर नहीं आते है

पांच रुपए

छूटें

कृषकों को किए गए किसी पट्टे का प्रतिलेख, जब कि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो ।

26. सीमा शुल्क बंध-पत्र—

(क) जहाँ कि रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है

वही शुल्क जो ऐसी रकम के बंधपत्र (सं0 15) पर लगता है ।

(ख) किसी अन्य मामले में ;

पंद्रह रुपए

27. डिबेंचर (चाहे वह बंधक डिबेंचर हो या नहीं)

वपण्य प्रतिभूति होते हुए जो—

(क) पृष्ठांकन द्वारा या अंतरण की पृथक लिखत द्वारा, अनुसूची 1 के अनुसार अंतरणीय है, वहां—

(ख) परिदान द्वारा

स्पष्टीकरण— “ डिबेंचर ” पद के अंतर्गत उससे संलग्न कोई ब्याज के कूपन हैं किन्तु ऐसे कूपनों की रकम, शुल्क के प्राक्कलन करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

अनुसूची 1 के अनुसार

छूट

ऐसा डिबेंचर जिसे किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय ने ऐसे रजिस्ट्रीकृत बंधक-विलेख के निबन्धानुसार निर्गमित किया है, उन डिबेंचरों की जो उसके अधीन निर्गमित किए जाने हैं पूरी रकम की बाबत सम्यक् रूप से स्ताम्पित है, और जिसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी या निकाय, अपनी संपत्ति, पूर्णतः या भागतः डिबेंचरधारियों के फायदे के लिए न्यासियों के हवाले करता है :

बंधपत्र (सं० 15) और धारा 8 और धारा 15 किसी न्यास की घोषणा—न्यास (सं० 64) भी देखिए ।

28. माल की बाबत परिदान-आदेश, हक-विलेखों का निक्षेप हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार देखिए (संख्या 6)

पांच रुपए

भागीदारी का विघटन—भागीदारी (सं० 46) देखिए ।

29. विवाह-विच्छेद की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है ।

तीस रुपए

महर की लिखत—देखिए व्यवस्थापन, (सं० 58)

दूसरी प्रति—देखिए प्रतिलेख (सं० 25)

30. किसी उच्च न्यायालय की नामावली में किसी अधिवक्ता, वकील या अटर्नी की प्रविष्टि.

(इंडियन बार काउंसिल्स ऐक्ट, 1926 के अधीन या लेटर्स पेटेंट द्वारा या विधि व्यवसायी अधिनियम, 1884 द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में)

(क) अधिवक्ता या वकील के मामले में

(ख) अटर्नी के मामले में ।

सात सौ पचास रुपए
सात सौ पचास रुपए

छूटें

किसी उच्च न्यायालय की नामावली में किसी अधिवक्ता, वकील या अठर्नी की प्रविष्टि जब कि वह पहले से ही किसी उच्च न्यायालय में अभ्याविष्ट है ।

31. संपत्ती के विनिमय की लिखत--

इस अधिनियम द्वारा यथा रूप से उद्ग्रहीत वही शुल्क जो अधिकतम मूल्य की संपत्ती के मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं. 23) पर जो ऐसी लिखत में उपवर्णित है, लगता है ।

उद्धरण । देखिए प्रतिलिपि (सं 24) ।

32. अतिरिक्त भार की लिखत, अर्थात्, कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर भार अधिरोपित करती है—

(क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद सं० 40 के खंड (क) में निर्दिष्ट किए गए वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जे सहित) ;

वही शुल्क जो कब्जे सहित बंधक विलेख (सं. 40(क)) के लिए ऐसी लिखत द्वारा और प्रतिभूत भार के बराबर है, पर लगता है ।

(ख) जब कि ऐसा बंधक अनुच्छेद सं० 40 के खंड (क) में निर्दिष्ट किए गए विवरणों में से किसी प्रकार विवरण का है (अर्थात् कब्जा रहित) —

(i) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समर्थ, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है ;

(ii) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया हो

कब्जा सहित [सं० 40(क)] बंधक के विलेख के रूप में वही शुल्क जो भार की, (जिसके अंतर्गत मूल बंधक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के बराबर प्रतिफल पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क, जो ऐसे मूल बंधक और अतिरिक्त भार पर चुकाया गया है कम कर दिया जाएगा। वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किए गए अतिरिक्त भार की रकम के लिए बंधपत्र (सं. 15) पर लगता है।

33. दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (सं० 58) या विल या अंतरण (सं० 62) नहीं है।

वही शुल्क जो संपत्ति के मूल्य के, जो ऐसी लिखत में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।

भाड़ा संबंधी करार या सेवा के लिए करार।

देखिए करार (सं० 5)।

34. क्षतिपूर्ति-बंधपत्र

निरीक्षकत्व-विलेख। प्रशामन-विलेख (सं० 22) देखिए

वही शुल्क जो उतनी ही रकम के प्रतिभूति-पत्र (सं० 57) पर लगता है।

35. पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई करार है—

(क) जहां कि ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया है और कोई प्रीमियम दिया नहीं गया है या परिदत्त नहीं किया गया है—

(i) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है ;

वही शुल्क जो ऐसे बंधपत्र (सं० 15) पर, ऐसे पट्टे के अधीन वेय या परिदेय पूरी रकम के लिए लगता है।

(ii) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं है ;

वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है।

(iii) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष से कम है ;

वही शुल्क जो इस अधिनियम द्वारा यथा रूप से उद्ग्रहीत आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है।

(iv) जहां कि पट्टा दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है ; किन्तु बीस वर्ष से अधिक नहीं है

इस अधिनियम द्वारा यथा रूप से उद्ग्रहीत अन्य हस्तांतरण-पत्र (सं. 23) के रूप में वही शुल्क जो रकम के दुगने के बराबर प्रतिफल के लिए या औसत आरक्षित वार्षिक भाट्टा का मूल्य है।

(v) जहां कि पट्टा बीस वर्ष की अवधि के लिए तात्पर्यित है किन्तु तीस वर्ष से अधिक नहीं है

इस अधिनियम द्वारा यथारूप से उद्ग्रहीत अन्य हस्तांतरण-पत्र (सं. 23) के रूप में वही शुल्क जो रकम के तिगुने के बराबर प्रतिफल के लिए या औसत आरक्षित वार्षिक भाट्टा का मूल्य है।

(vi) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित किंतु सौ वर्ष से अधिक नहीं है वही शुल्क जो इस अधिनियम द्वारा यथा रूप से उद्ग्रहीत अन्य हस्तांतरण-पत्र (सं. 23) के रूप में है ऐसी चार गुनी रकम या औसत वार्षिक किराए के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए है ।

(vii) जहां की पट्टा सौ वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है या शाश्वता के आधार पर है । उन भाड़ों के लिए जो पट्टे के प्रथम पचास वर्ष की बाबत संदत्त या परिपदत्त होंगे की पूर्ण रकम के 1/10 और अन्य मामले में 1/6 के प्रयोजनों के लिए केवल कृषि के मामले में दिया गया पट्टे के मामले में इस अधिनियम द्वारा यथारूप से उद्ग्रहीत अन्य हस्तांतरण-पत्र (सं. 23) के रूप में है ।

(viii) जहां कि पट्टा किसी नियत अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है । यदि पट्टा दीर्घकाल तक जारी रहता है तो प्रथम दस वर्ष के लिए रकम के तीन गुना के बराबर या औसत वार्षिक भाड़ा का मूल्य जिसे प्रथम दस वर्ष के लिए संदत्त या परिदत्त किया जाएगा, प्रतिफल के लिए इस अधिनियम द्वारा यथारूप से उद्ग्रहीत अन्य हस्तांतरण (सं. 23) में रूप में वही शुल्क ।

(ख) जहां की पट्टा किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां भाटक आरक्षित नहीं है ; इस अधिनियम द्वारा यथा रूप से उद्ग्रहीत वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, तीन गुना प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है ।

(ग) जहां कि पट्टा आरक्षित किए गए भाटक के अतिरिक्त किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है । इस अधिनियम द्वारा यथा रूप से उद्ग्रहीत वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, तीन गुना प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है । उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता :

परंतु किसी की दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क दो रूप से अधिक नहीं होगा ।

छूटें

खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है), जो कोई नजराना या प्रीमियम दिए बिना या परिदत्त किए बिना निष्पादित किया गया है और जब कि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक एक सौ रूप से अधिक नहीं है ।

इस छूट में, किसी खेतिहर के प्रयोजनों के लिए पट्टे में घासभूमि या टैंक के साथ खेती के लिए भूमि का पट्टा

सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण— जब कोई पट्टाधारी किसी ऐसे आवर्ती प्रभार का संदाय का वचनबंध करता है जो सरकारी राजस्व, भूमि स्वामी के उपकरणों के भाग या स्वामी के नगरपालिका दर या करों के रूप में हो तो विधि के अनुसार या पट्टाधारी से वसूल करने योग्य है, संदत्त किए जाने पर सहमत इस प्रकार की रकम को किराए के भाग के रूप में समझा जाएगा।

36. शेरों के आबंटन का पत्र पांच रुपए
37. प्रत्यय-पत्र अनुसूची 1 के अनुसार
- प्रत्याभूति-पत्र, करार (सं० 5) देखिए।
38. अनुभूति-पत्र, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलम्बित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे। तीस रुपए
39. कंपनी का संगम-ज्ञापन—
- (क) यदि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 26, धारा 27 और धारा 28 के अधीन संगम-अनुच्छेद संलग्न हों ; पांच सौ रुपए
- (ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हों। एक हजार रुपए

छूटें

किसी भी ऐसे संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

40. बंधक-विलेख, जो हक विलेखों के निक्षेप, पणयम्, या गिरवी (सं० 6), पोत बंधपत्र (सं० 16), फसल का बंधक (सं० 41), जहाजी माल बंधपत्र (सं० 56), या प्रतिभूति बंधपत्र (सं० 57) से संबंधित करार नहीं है—
- (क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए है।
- जहां ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम 50 रु० से अधिक नहीं है ; चार रुपए
- जहां यह रकम 50 रु० से अधिक है परंतु 100 रु० से अधिक नहीं है ; आठ रुपए
- जहां यह रकम 100 रु० से अधिक है परंतु 200 रु० से अधिक नहीं है ; सोलह रुपए
- जहां यह रकम 200 रु० से अधिक है परंतु 300 रु० से अधिक नहीं है ; चौबीस रुपए
- जहां यह रकम 300 रु० से अधिक है परंतु 400 रु० से अधिक नहीं है ; बत्तीस रुपए
- जहां यह रकम 400 रु० से अधिक है परंतु 500 रु० से अधिक नहीं है ; चालीस रुपए
- जहां यह रकम 500 रु० से अधिक है परंतु 600 रु० से अधिक नहीं है ; अड़तालीस रुपए
- जहां यह रकम 600 रु० से अधिक है परंतु 700 रु० से अधिक नहीं है ; छप्पन रुपए

जहाँ यह रकम 700 रु से अधिक है परंतु 800 रु से अधिक नहीं है ;	चौंसठ रुपए
जहाँ यह रकम 800 रु से अधिक है परंतु 900 रु से अधिक नहीं है ;	बहत्तर रुपए
जहाँ ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम 900 रु से अधिक है परंतु 1000 रु से अधिक नहीं है ;	अस्सी रुपए

और प्रत्येक 500 रु या 1000 रु के अधिक में उसके भाग के लिए चात्तीस रुपए

(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के दिए जाने के लिए करार नहीं किया गया है ; बंधपत्र (सं० 15) पर लगती है ।

स्पष्टीकरण— ऐसे बंधककर्ता के बारे में, जो बंधकदार को बंधकित संपत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टा-राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है ।

(ग) जबकि कोई सांपर्शिक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहाँ कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप में स्टांभित है—

ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ; दो रुपए

और 1,000 रुपए से अधिक ऐसे प्रत्येक 1,000 या उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत हो । दो रुपए

छूट

वे लिखतें, जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, 1883 या एग्रिकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, 1884 के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूतों द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादन की गई है ।

41. फसल का बंधक जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत है जो फसल के बंधक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्षित करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो—

(क) जबकि ऐसा उधार, ऐसे समय पर चुकाया जाना हो जो ऐसी लिखत की तारीख के तीन मास से अधिक बाद का नहीं है—

ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 200 रुपए से अधिक नहीं है ; एक रुपया

और 200 रुपए से अधिक ऐसे प्रत्येक 200 रुपए या उसके ऐसे भाग के लिए जो प्रतिभूत है, एक रुपया

(ख) जबकि ऐसा उधार, ऐसे समय पर चुकाया जाना हो, जो ऐसी लिखत की तारीख के तीन मास से अधिक का है किन्तु अठारह मास से अधिक का नहीं है—

ऐसी प्रत्येक प्रतिभूत राशि के लिए जो 100 रुपए से अधिक नहीं है ; एक रुपया

- और 100 रुपए से अधिक ऐसे प्रत्येक 100 रुपए या एक रुपया उसके भाग के लिए जो प्रतिभूत है।
42. नोटरी संबंधी कार्य, अर्थात्, कोई ऐसी लिखत, पंद्रह रुपए पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (सं० 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है। विपत्र या वचन-पत्र प्रसाक्ष्य (सं० 50) भी देखिए।
43. टिप्पण या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है—
(क) ऐसे किसी माल का, जो बीस रुपए से अधिक पांच रुपए मूल्य का है ;
(ख) ऐसे किसी स्टाक विपण्य प्रतिभूति का, जो बीस रुपए से अधिक मूल्य का है।
44. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण।
45. विभाजन का लिखत— धारा 2(15) द्वारा यथापरिभाषित
- स्टाक या प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रुपए या उसके भाग के लिए पांच रुपए।
पांच रुपए।
वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के पृथक किए गए अंश या अंशों के मूल्य की रकम के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है,
विशेष टिप्पण— संपत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश हैं जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं हैं तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जाएगा जिससे अन्य अंश पृथक कर दिए गए हैं
परंतु सदैव यह कि—
(क) जबकि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें संपत्ति को पृथक-पृथक विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत चुकाए गए शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह दो रुपए से कम नहीं होगा ;
(ख) जहां कि भूमि, राजस्व बंदोबस्त पर ऐसी कालावधि के लिए जो तीस वर्ष से अधिक नहीं है, धारित है, और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य उसके वार्षिक राजस्व के दस गुने से अधिक परिकलित नहीं किया जाएगा ;
(ग) जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अंतिम आदेश, या विभाजन करने का निदेश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट से अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क दो रुपए से अधिक नहीं होगा।
46. भागीदारी—
क. भागीदारी की लिखत—

- (क) जहां कि भागीदारी की पूंजी 500 रुपए से अधिक चार रुपए ।
नहीं है ;
- (ख) किसी अन्य मामले में— तेइस रुपए ।
ख. भागीदारी का विघटन— पंद्रह रुपए ।
पणयम् या गिरवी—हक विलेखों के निक्षेप, पणयम् या गिरवी से संबंधित करार (सं० 6) देखिए ।
47. बीमा पालिसी— अनुसूची 1 के अनुसार
48. धारा 2(21) में यथापरिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी (सं० 52) नहीं है—
- (क) जब कि वह एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है ; पांच रुपए
- (ख) जब कि वह प्रेसिडेंसी लघुवाद-न्यायालय अधिनियम, 1882 के अधीन वादों या कार्यवाहियों में अपेक्षित है ; पांच रुपए
- (ग) जब कि वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को खंड (क) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ; पंद्रह रुपए
- (घ) जब कि वह पांच से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः और पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ; पचहत्तर रुपए
- (ङ) जब कि वह पांच से अधिक किंतु दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए करता है ; एक सौ पंद्रह रुपए
- (च) जब कि वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ती का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है ; वही शुल्क जो इस अधिनियम द्वारा यथा उद्ग्रहीत रकम के हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता हो ।
- (छ) अन्य किसी मामले में पंद्रह रुपए
- विशेष टिप्पण— प्राधिकृत किए गए प्रति व्यक्ति के लिए एक रुपया । भलीभांति ध्यान दें— “रजिस्ट्रीकरण” पद के अंतगत ऐसी प्रत्येक किया आती है, जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है ।
- स्पष्टीकरण—एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत उस दशा में, जिसमें कि वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे एक ही व्यक्ति है ।
49. वचन-पत्र— अनुसूची 1 के अनुसार
50. विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक प्रसाक्ष्य अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा ; जो विनिमयपत्र या वचनपत्र को अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है । पंद्रह रुपए ।
51. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति अनुसूची 1 के अनुसार
52. परोक्षी अनुसूची 1 के अनुसार

53. रसीद अनुसूची 1 के अनुसार
54. बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण—
 (क) यदि प्रतिफल जिसके लिए संपत्ति बंधक की गई थी, 1000रु से अधिक नहीं। वही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम जो वह प्रतिहस्तांतरण-पत्र में है, इस प्राधिकारी में यथा उद्गृहीत, वाले हस्तांतरण-पत्र (सं0 23) पर लगता है।
 (ख) किसी अन्य मामले में
 (i) यदि नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र में स्थित स्थावर संपत्ति से संबोधित हस्तांतरण-पत्र में है पैंतालीस रुपए
 (ii) अन्य मामलो में तीस रुपए
55. निर्मुक्ति, अर्थात् कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पद दावे का या किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति पद दावे का त्याग कर देता है—
 (क) यदि दावे की रकम या मूल्य 1000 से अधिक नहीं है वही शुल्क जो ऐसी रकम या मूल्य जो उस निर्मुक्ति में उप-वर्णित है, वाले बंधपत्र (सं0 15) पर लगता है।
 (ख) अन्य किसी मामले में पंद्रह रुपए।
56. जहाजी माल, अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिए प्रतिभूति देती है जो किसी पोते के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गन्तव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाप्त है। वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के पोत बंध-पत्र (सं0 16) पर लगता है।
 किसी न्यास या व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण-
 व्यवस्थापन (सं0 58) ; न्यास (सं0 64) देखिए।
57. प्रतिभूति-बंधपत्र या बंधक विलेख जो किन्ही पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य संपत्ति को लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा दायित्व के सम्यक् निर्वहन के लिए सम्यक पालन के सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू द्वारा गया है—
 (क) जबकि प्रतिभूत रकम 1,000 रुपए से अधिक नहीं है ; वही शुल्क जो प्रतिभूत रकम के बंधपत्र (सं0 15) पर लगता है।
 (ख) किसी अन्य मामले में पंद्रह रुपए
- बंधपत्र या अन्य लिखित जबकि वह निष्पादित किया जाए
 (क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ;
 (ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम, 1884 के

अधीन अग्रिम धन लिए हैं या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में ;

(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य संपत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिए ।

58. व्यवस्थापन—

क.-- व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत महर विलेख हैं) ।

वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति की रकम या मूल्य के जो उस व्यवस्थापन-लिखत में उपवर्णित हैं, बराबर राशि के बंधपत्र (सं० 15) पर

छूटें

विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण—

वही शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के जो प्रतिसंहरण लिखत में उपवर्णित हैं, बराबर राशि के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है, किन्तु जो तीस रुपए से अधिक नहीं होगा ।

न्यास (सं० 64) भी देखिए ।

59. शेयर वारंट वाहक के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्गमित—

वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अंकीय रकम के बराबर कब्जे सहित बंधक (सं० 40(क) पर संदेय शुल्क का (डेढ़ गुना) शुल्क ।

छूटें

शेयर अधिपत्र, जबकि वह किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 114 के अनुसरण में निर्गमित किया गया है स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन-धन के रूप में निम्नलिखित की अदायगी कर दी जाने पर प्रभावी होगा—

(क) कंपनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी डेढ़ प्रतिशत, या

(ख) यदि कोई कंपनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन-धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करता है, जो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत

60. पोत परिवहन आदेश ।

पांच रुपए

61. पट्टे का अभ्यर्पण—

(क) जब कि पट्टे पर प्रमार्य शुल्क दस रुपए से अधिक नहीं है,

वह शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रमार्य है ।

(ख) किसी अन्य मामले में

पंद्रह रुपए ।

छूटें

पट्टे का अभ्यर्पण जबकि ऐसे पट्टे की शुल्क से छूट दी गई है

62. अंतरण (चाहे वह प्रतिफल के सहित या बिना हो)—

(क) किसी निर्गमित कंपनी या अन्य निर्गमित निकाय में के शेयरों का ;

अनुसूची 1 के अनुसार

(ख) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिए

शेयरों रुपए या डिबेंचर की अभिहित राशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 27) पर देय शुल्क

डिबेंचर दायी हो या न हो ;

(ग) किसी हित का बंधपत्र, बंधक-विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत—

(घ) एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट, 1874 (1874 का 2) की धारा 31 के अधीन किसी संपत्ति का अंतरण

(ङ) किसी न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को किसी न्यास संपत्ति का प्रतिफल के बिना

का आधा ।

ऐसे बंधपत्र, गिरवी विलेख, या बीमा पालिसी पांच सौ रुपए अधिकतम के अधीन रहते हुए शुल्क प्रभाय है ।

पचास रुपए

पचास रुपए

छूटें

पृष्ठांकन द्वारा अंतरण—

(क) जो विनिमय-पत्र चैक या वचन-पत्र का,

(ख) वहन-पत्र परिदान आदेश माल के लिए वारंट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का:

(ग) बीमा पालिसी का है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का है: धारा 8 भी देखिए ।

63. पट्टे का अंतरण समनुदेशन द्वारा न कि उपपट्टे द्वारा ।

वही शुल्क जो अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण-पत्र (सं० 23) पर लगता है ।

छूटें

शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण ।

64. न्यास—

(क) की घोषणा किसी संपत्ति की या उसके बारे में जबकि विल से भिन्न लिखित रूप में की गई हो ।

वही शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, जो लिखत में उपवर्णित है बराबर राशि के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है, किंतु वह पैतालिस रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(ख) का प्रतिसंहरण किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह विल से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो ।

वही शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य के, जो लिखत में उपवर्णित है बराबर राशि के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है, किंतु वह तीस रुपए से अधिक नहीं होगा ।

व्यवस्थापन (सं० 58) भी देखिए ।

मूल्यांकन-आंकना (सं० 8) देखिए ।

वकील-वकील के रूप में प्रविष्टि (सं० 30) देखिए ।

65. माल के लिए वारंट, अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भाण्डागार या घाट में या उस पर रहे हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है ।

पांच रुपए” ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2007

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1994 (Punjab Act No. 17 of 1994) and the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1998 (Punjab Act No. 17 of 1998), as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. (1) In Sub-section (1) of Section 1 of the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1994, for the words, brackets and figures, "the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1994" the words, brackets and figures "the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1994 as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.
- (2) In Sub-section (1) of Section 1 of the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1998, for the words, brackets and figures, "the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1998", the words, brackets and figures "the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1998 as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

[No.U-11015/106-UTL]

B. A. COUTINHO, Jt. Secy.

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 1994

(Punjab Act No. 17 of 1994)

AN

ACT

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement :**

(1) This Act may be called the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1994.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of Section 27 of Central Act 2 of 1899 :**

In the Indian Stamp Act, 1899 (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the state of Punjab:—

(i) section 27 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section

(1) as so-renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) In the case of instruments relating to immovable property chargeable with an *ad valorem* duty on the value of the property, and not on the value set forth in the instrument, the instrument shall fully and truly set forth, the annual land revenue in the case of revenue paying land, the annual rental or gross assets, if any, in the case of other immovable property, the local rates, municipal or other taxes if any, to which such property may be subject, and any other particulars which may be prescribed by rules made under this Act."

(ii) **Amendment of Section 47-A of Central Act 2 of 1899 :**

in Section 47-A for Section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) The Collector may *suo motu*, or on the receipt of a reference from the Inspector General of Registration or Registrar of a District appointed under the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), in whose jurisdiction the property or any portion thereof which is the subject-matter of the instrument is situated or on the receipt of a report of audit by the Comptroller and Auditor General of India or by any other authority authorised by the State Government in this behalf or otherwise, within a period of three years from the date of the registration of an instrument, call for and examine any instrument for the purposes of satisfying himself as to the correctness of the value of the property or of the consideration disclosed and of all other facts and circumstances affecting the chargeability of the instrument or as to the true character and description thereof and the amount of the duty with which it was chargeable and if after such examination, he has reason to believe that proper duty has not been paid he may, after giving the person concerned reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in the manner provided under sub-section (2),

determine the value of the property or the consideration or the character or description of instrument and the duty with which it was chargeable and the deficient amount of duty, if any, would be payable by the persons liable to pay the duty,"; and

(iii) **Substitution of Schedule 1-A to Central Act 2 of 1899 :**

for Schedule 1-A, the following Schedule shall be substituted namely:—

"SCHEDULE 1-A

(See Section 3)

Note.—The articles in Schedule 1-A are numbered so as to correspond with similar articles in Schedule 1.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
1. ACKNOWLEDGEMENT of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession : provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property :—	Five Rupees
2. ADMINISTRATION BOND , including a bond given under Section 6 of the Government Saving Bank Act, 1873, or Sections 291, 375 and 376 of the Succession Act, 1925:—	The same duty as on a Bond (No.15) for such amount Fifteen rupees.
(a) where the amount does not exceed Rs.1,000;	Two hundred rupees
(b) in any other case	Five rupees
3. ADOPTION DEED , that is to say, any instrument (other than a Will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt. Advocate—See Entry as an Advocate (No. 30).	Five rupees
4. Affidavit , including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing.	Five rupees
Exemptions	
Affidavit or declaration in writing when made—	
(a) as a condition of enrolment under the Army Act, 1950, or the Air Force Act, 1950;	
(b) for the immediate purpose of being filed or used in any Court or before the officer of any Court; or	
(c) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	
5. Agreement or Memorandum of an Agreement—	
(a) if relating to the sale of a bill of exchange;	Five rupees
(b) if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate;	Subject to a maximum of twenty three rupees, one rupee, for every Rs 10,000 or part thereof of the value of the security or share.
(c) if relating to the sale of a share in an incorporated company or other body corporate;	Three rupees

Description of Instrument	Exemptions	Proper Stamp-duty
<p>Agreement or Memorandum of an agreement— (a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Notr or Memorandum chargeable under No. 43; (b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan.</p>	Agreement to Lease- see Lease (No. 35).	
<p>6. Agreement Relating to Deposit of Title Deeds, pawn or pledge, that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to— (1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than marketable security).</p>	OR	
<p>(2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt—</p>	<p>(a) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement—</p>	<p>One Rupee Two Rupees Two Rupees Two Rupees Three Rupees Four Rupees Five Rupees Seven Rupees Thirteen Rupees Nineteen Rupees Twenty Five Rupees Thirty Eight Rupees Fifty Rupees Sixty Two Rupees Seventy Seven Rupees Twenty-Five Rupees</p>
	<p>(i) when the amount of loan or debt does not exceed Rs. 200; (ii) when it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 400; when it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 600; when it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 800; when it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 1000; when it exceeds Rs. 1000 but does not exceed Rs. 1200; when it exceeds Rs. 1200 but does not exceed Rs. 1600; when it exceeds Rs. 1600 but does not exceed Rs. 2500; when it exceeds Rs. 2500 but does not exceed Rs. 5000; when it exceeds Rs. 5000 but does not exceed Rs. 7500; when it exceeds Rs. 7500 but does not exceed Rs. 10000; when it exceeds Rs. 10000 but does not exceed Rs. 15000; when it exceeds Rs. 15000 but does not exceed Rs. 20000; when it exceeds Rs. 20000 but does not exceed Rs. 25000; when it exceeds Rs. 25000 but does not exceed Rs. 30000; and for additional Rs. 10000 or part thereof in excess of Rs. 30000;</p>	<p>Half the duty payable on a loan or debt under clause (a)(i) or clause (a)(ii) for the amount secured.</p>
<p>Instruments of pawn or pledge of goods if unattested.</p>	Exemption	
<p>7. Appointment in Execution of a Power, whether of trustees or of property, movable or immovable, where made by any writing not being a Will.</p>	<p>8. Appraisalment or Valuation made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit—</p>	<p>Thirty eight rupees</p>
<p>(a) where the amount does not exceed Rs. 1,000</p>	<p>(b) in any other case</p>	<p>The same duty as a Bottomery Bond (No. 16) for such amount. Fifteen rupees</p>

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
Exemptions	
(a) Appraisal or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or operation of law.	
(b) Appraisal of crop for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.	
9. Apprenticeship-Deed, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment not being Articles of Clerkship (No. 11).	As in Schedule I
Exemptions	
Instrument of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850 or by which a person is apprenticed by or at the charge of any public charity.	
10. Articles of Association of Company—	
(a) when the authorized capital of the company does not exceed one lac,	Sixty Rupees
(b) in other cases.	One hundred and twenty rupees.
Exception	
Article of any Association not framed for profit and registered under Section 25 of the Companies Act, 1956.	
See also Memorandum of Association of a Company (No. 39)	
11. Articles of Clerkship	As in Schedule I
Assignment—see Conveyance (No. 23), Transfer (No. 62) and Transfer of Lease (No. 63) as the case may be Attorney—see Entry as an Attorney (No. 30), and Power of Attorney (No. 48).	
Authority to Adopt—see Adoption-Deed (No. 3)	
12. Award, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit.	
(a) where the amount or value of the property to which the award relates as set forth in such award, does not exceed Rs. 1,000.	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(b) if it exceeds Rs. 1,000 and does not exceed Rs. 5,000; and for every additional Rs. 1,000 or part thereof in excess of Rs. 5,000	Fifteen Rupees. Two Rupees subject to a maximum of one hundred and thirteen rupees.
13. BILL OF EXCHANGE	As in Schedule I
14. BILL OF LADING (including a through bill of lading).	As in Schedule I
15. BOND as defined by Section 2 (5) not being a DEBENTURE (No. 27) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court Fees Act, 1870—	
where the amount or value secured does not exceed rupees 500;	Ten Rupees
where it exceeds Rs. 500 and does not exceed Rs. 1,000;	Twenty Rupees
And for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000	Ten Rupees
See Administration Bond (No. 2), Bottomery Bond (No. 16), Customs Bond (No. 26), Indemnity Bond (No. 34), Respondentia Bond (No. 5), Security Bond (No. 57)	

Description of Instrument

Proper Stamp-duty

Exemptions

- Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscription to a Charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.
16. **BOTTOMERY BOND**, that is to say, any instrument where by the master of a seagoing ship borrows money on the security of ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.
- where the amount or value secured does not exceed Rs. 10; One Rupee
 where it exceeds Rs. 10 and does not exceed Rs. 50; One Rupee
 where it exceeds Rs. 50 and does not exceed Rs. 100; Two Rupees
 where it exceeds Rs. 100 and does not exceed Rs. 200; Three Rupees
 where it exceeds Rs. 200 and does not exceed Rs. 300; Four Rupees
 where it exceeds Rs. 300 and does not exceed Rs. 400; Five Rupees
 where it exceeds Rs. 400 and does not exceed Rs. 500; Six Rupees
 where it exceeds Rs. 500 and does not exceed Rs. 600; Seven Rupees
 where it exceeds Rs. 600 and does not exceed Rs. 700; Eight Rupees
 where it exceeds Rs. 700 and does not exceed Rs. 800; Nine Rupees
 where it exceeds Rs. 800 and does not exceed Rs. 900; Eleven Rupees
 where it exceeds Rs. 900 and does not exceed Rs. 1000; Twelve Rupees
 And for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1000; Six Rupees.
17. **CANCELLATION**—instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for. Fifteen Rupees
- See also **RELEASE** (No. 55), **REVOCATION OF SETTLEMENT** (No. 58-B), **SURRENDER OF LEASE** (No. 61), **REVOCATION OF TRUST** (No. 64-B).
18. **CERTIFICATE OF SALE** (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer. The same duty as other Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the purchase money only.
19. **CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT** evidencing the right or title of the holder thereof or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body. Ten rupees.
20. **CHARTER PARTY**, that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug-steamer) where by a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not. Fifteen rupees.
22. **COMPOSITION DEED**, that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspector or under letters of licence for the benefit of his creditors. Thirty rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty	
	Where conveyance amounts to sale of immovable property	Other conveyances
23. CONVEYANCE as defined by Section 2(10) not being a TRANSFER charged or exempted under No. 62—		
Where the value or amount of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs. 50	Seven Rupees	Two Rupees
where it exceeds Rs. 50 and does not exceed Rs. 100	Thirteen Rupees	Three Rupees
where it exceeds Rs. 100 and does not exceed Rs. 200;	Twenty five Rupees	Six Rupees
where it exceeds Rs. 200 and does not exceed Rs. 300;	Thirty eight Rupees	Nine Rupees
where it exceeds Rs. 300 and does not exceed Rs. 400;	Fifty Rupees	Twelve Rupees
where it exceeds Rs. 400 and does not exceed Rs. 500;	Sixty three Rupees	Fifteen Rupees
where it exceeds Rs. 500 and does not exceed Rs. 600;	Seventy five Rupees	Eighteen Rupees
where it exceeds Rs. 600 and does not exceed Rs. 700;	Eighty eight Rupees	Twenty one Rupees
where it exceeds Rs. 700 and does not exceed Rs. 800;	One hundred Rupees	Twenty four Rupees
where it exceeds Rs. 800 and does not exceed Rs. 900;	One hundred and thirteen Rupees	Twenty seven Rupees
where it exceeds Rs. 900 and does not exceed Rs. 1000;	One hundred and twenty five Rupees	Thirty Rupees
And for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1000.	Sixty three Rupees	Fifteen Rupees
Exception		
Assignment of copyright under the Copyright Act, 1957, Section 18.		
Co-partnership-Deed—see partnership (No. 46).		
24. COPY OR EXTRACT certified to be a true copy or extract by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court-fees—		
(i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed two rupees;	Five Rupees	
(ii) in any other case not falling within the provisions of Section 6-A	Five Rupees	
Exemptions		
(a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose;		
(b) Copy of, or extract from, any register relating to birth, baptisms, namings,		

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
25. dedications, marriages, divorces, deaths or burials. COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid— (a) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed two rupees; (b) In any other case not falling within the provisions of Section 6-A	Five Rupees Five Rupees
<p style="text-align: center;">Exemption</p> Counterpart of any lease granted to cultivator when such lease is exempted from duty.	
26. CUSTOMS' BOND— (a) where the amount does not exceed Rs. 1,000; (b) in any other case.	The same duty as on a Bond (No. 15) for such amount. Fifteen Rupees.
27. DEBENTURE (whether a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable— (a) by endorsement or by a separate instrument of transfer; (b) by delivery. <i>Explanation</i> —The term "Debenture" includes any interest coupons attached thereto, but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty.	One-twentieth of one per cent that is to say, 0.05% of the face value ^{1/234} [***] subject to a maximum of one million rupees. As in Schedule I As in Schedule I.
<p style="text-align: center;">Exemptions</p> A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part, their property or trustees for the benefit of the debenture holders; provided that the debenture so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed. See also Bond (No. 15) and Sections 8 and 55. Declaration of any Trust, See trust (No. 64).	
28. DELIVERY-ORDER IN RESPECT OF GOODS, DEPOSIT OF TITLE-DEEDS <i>see</i> AGREEMENT relating to DEPOSIT OF TITLE-DEEDS, PAWN OR PLEDGE (No. 6), DISSOLUTION OF PARTNERSHIP, <i>See</i> PARTNERSHIP (No. 46).	Five rupees
29. DIVORCE—Instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage. DOWER—INSTRUMENT OF <i>See</i> SETTLEMENT (No. 58). DUPLICATE, <i>See</i> COUNTERPART (No. 25)	Thirty rupees
30. Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of the High Court— (Under the Indian Bar Councils Act, 1926, or in exercise of powers conferred on such Court by Letters Patent or by the Legal Practitioners Act, 1884)— (a) in the case of an Advocate or Vakil (b) in the case of an Attorney.	Seven hundred and fifty Rupees Seven hundred and fifty Rupees.
<p style="text-align: center;">Exemptions</p> Entry of an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of the High Court, when he has previously been enrolled in any other High Court.	

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
31. Exchange of Property— Instrument of— EXTRACT <i>see</i> Copy (No. 24)	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act for a consideration equal to the value of the property of greatest value as set forth in such instrument.
32. FURTHER CHARGE—Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property—	The same duty as a mortgage deed with possession [No. 40(a)] for the amount of the further charge secured
(a) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (a) of Article No. 40 (that is, with possession); by such instrument.	The same duty as a mortgage deed with possession [No. 40(a)] for the amount of the further charge secured
(b) when such mortgage is one of the description referred to in clause (b) of Article No. 40 (that is, without possession)—	The same duty as a mortgage deed with possession [No. 40(a)] for the amount of the further charge secured
(i) if at the time of execution of the instrument of further charge possession of the property is given or agreed to be given under such instrument;	The same duty as a mortgage deed with possession [No. 40(a)] for the amount equal to the total amount of the charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.
(ii) if possession is not so given;	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the further charge secured by such instrument.
33. GIFT—Instrument of, Not being a settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 62)—	The same duty as a conveyance amounting to sale (No. 23) as levied by this Act for a consideration equal to the value of property as set forth in such instrument.
Hiring Agreement or agreement for service, <i>see</i> AGREEMENT (No. 5).	
34. INDEMNITY BOND	The same duty as a Security Bond (No. 57) for the same amount.
INSPECTORSHIP-DEED, <i>see</i> COMPOSITION-DEED (No. 22).	
35. LEASE, including an underlease or sub-lease and any agreement to let or sub-let—	
(a) where by such lease the rent is fixed and no premium is paid or delivered—	
(i) where the lease purports to be for a term of less than one year.	The same duty as a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease.
(ii) where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than five years.	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount or value of the average annual rent reserved.
(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years, and not exceeding ten years.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to the amount or value of the average annual rent reserved.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years, and not exceeding twenty years.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to twice the amount or value of the average annual rent reserved.
(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years, and not exceeding thirty years.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent reserved.
(vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years, and not exceeding hundreds years.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to four times the amount or value of the average annual rent reserved.
(vii) where the lease purports to be for a term exceeding hundreds years or in perpetuity.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal in the case of a lease granted solely for agricultural purposes to 1/10th and in any other case to 1/6th of the whole amount of rents which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of lease.
(viii) where the lease does not purport to be for any definite term.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.
(b) where the lease is granted for a fine or premium of for money advanced and where no rent is reserved.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
(c) where the lease is granted for a fine or premium of for money advanced, in addition to rent reserved.	The same duty as other conveyances (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered :
	Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the ad valorem stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed the duty on such lease shall not exceed two rupees.

Exemption

Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a tease of trees for

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium when a definite term is expressed and such term does not exceed one year, or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.	
In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of lands for cultivation together with a homestead or tank.	
Explanation—When a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the landlord's share of cesses, or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed by the lessee shall be deemed to be part of the rent.	
Letter of allotment of Shares	Five Rupees.
Letter of Credit	As in Schedule I
Letter of Guarantee—See Agreement (No. 5)	
Letter of Licence, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors, that the letter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.	Thirty Rupees.
Memorandum of Association of a Company—	
(a) If accompanied by articles of association under Sections 26, 27 and 28 of the Companies Act, 1956	Five Hundred Rupees
(b) if not so accompanied	One Thousand Rupees
Exemptions	
Memorandum of any association not formed for profit and registered under Section 25 of the Companies Act, 1956	
40. Mortgage-Deed not being an Agreement Relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomery Bond (No. 16) Mortgage of a Crop (No. 41), Respondentia Bond (No. 56), or Security Bond (No. 57)—	
(a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given;	
Where the amount secured by such instrument does not exceed Rs. 50	Four rupees
Where it exceed Rs. 50 but does not exceed Rs. 100	Eight rupees
Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200	Sixteen rupees
Where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300	Twenty four rupees
Where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400	Thirty two rupees
Where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500	Forty rupees
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600	Forty eight rupees
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700	Fifty six rupees
Where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800	Sixty four rupees
Where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900	Seventy two rupees
Where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1000	Eighty rupees
And for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1000	Forty rupees

	Description of Instrument	Proper Stamp-duty
	(b) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid; <i>Explanation</i> —A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this Article.	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured by such deed.
	(c) when a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above mentioned purposes where the principal or primary security is duly stamped— for every sum secured not exceeding Rs. 1,000; and for every Rs. 1,000 or part thereof secured in excess of Rs. 1,000.	Two rupees. Two rupees.
	<i>Exemptions</i>	
	Instruments, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturist Loans Act, 1884 or by their sureties as security for the repayment of such advances.	
41.	MORTGAGE OF A CROP, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of mortgage—	
	(a) when the loan is repayable, not more than three months from the date of the instrument— for every sum secured not exceeding Rs. 200 for every Rs. 200 or part thereof of the sum secured in excess of Rs. 200;	One rupee. One rupee. One rupee.
	(b) when the loan is repayable in more than three months, but not more than eighteen months from the date of the instrument— for every sum secured not exceeding Rs. 100 for every Rs. 100 or part thereof of the sum secured in excess of Rs. 100	One rupee. One rupee.
42.	NOTARIAL ACT—that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public, See also Protest or Bill or Note (No. 50).	Fifteen rupees.
43	Note or Memorandum sent by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal—	
	(a) of any goods exceeding in value twenty rupees.	Five rupees.
	(b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees	Five rupees for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of the stock or security.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
44. NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP	Five rupees.
45. PARTITION, Instrument of [as defined by Section 2(15)].	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the value of the separated share or shares of the property. <i>N.B.</i> —The largest share remaining after the property is partitioned (or if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other shares, than one of such equal shares) shall be deemed to be that from which other shares are separated: Provided always that— (a) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument affecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument but shall not be less than two rupees; (b) where land is held on Revenue Settlement for a period not exceeding thirty years and paying the full assessment, the value for purpose of duty shall be calculated at not more than ten times the annual revenue; (c) where a final order for effecting a partition passed by any Revenue authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed two rupees.
46. PARTNERSHIP—	
A—Instrument of—	
(a) where the capital of the partnership does not exceed Rs. 500;	Four rupees.
(b) in any other case	Twenty three rupees.
B—DISSOLUTION OF—	
Pawn or Pledge, See AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE-DEEDS PAWN OR PLEDGE (No. 6)	Fifteen rupees.
47. POLICY OF INSURANCE—	As in Schedule I.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
48. POWER-OF-ATTORNEY as defined by Section 2 (21), not being a proxy (No. 52)—	
(a) when executed for sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents.	Five Rupees.
(b) when required in suits or proceedings under Presidency Small Cause Courts Act, 1882;	Five rupees.
(c) when authorizing one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (a)	Fifteen rupees.
(d) when authorizing not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.	Seventy five rupees.
(e) when authorizing more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.	One hundred and fifty rupees.
(f) when given for consideration and authorizing the attorney to sell any immovable property.	The same duty as other Conveyances (No. 23) as levied by this Act for the amount of consideration.
(e) in other case	Fifteen rupees.
<i>Explanation</i> —For the purpose of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.	
49. Promissory Note	As in Shedule I
50. Protest of Bill or Note, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public, or other person lawfully acting as such attesting the dishonour of a Bill of Exchange for promissory note.	Fifteen rupees.
51. Protest by the Master of a ship	As in Schedule I
52. Proxy	As in Schedule I
53. Receipts	As in Schedule I
54. Re-conveyance of Mortgaged Property—	
(a) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs. 1000.	The same duty as a conveyance (No. 23) as levied by this Act, for the amount of such consideration as set forth in the reconveyance.
(b) in any other case—	
(i) if the reconveyance relates to immovable property situated within a Municipality, Cantonment Board or Notified area;	Forty five rupees.
(ii) in other cases	Thirty rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
55. Release, that is to say any instrument (not being such a release as is provided for by Section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property.	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount of the claim or value as set forth in release.
(a) if the amount or value of the claim does not exceed Rs. 1,000	Fifteen rupees.
(b) in any other case	The same duty as Bottomary Bond (No. 16) for the amount of the loan secured.
56. Respondentia Bond that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination. Revocation of any Trust or settlement See Settlement (No. 58). Trust (No. 69).	
57. Security Bond or Mortgage Deed executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof or executed by a surety to secure the due performance of a contract (or the due discharge of a liability)—	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured.
(a) when the amount secured does not exceed Rs. 1000;	Fifteen rupees.
(b) in any other case.	
<i>Exemption:</i>	
Bond or other instrument, when executed—	
(a) by any person for the purpose of guaranteeing that to the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem;	
(b) under No. 3-A of the rules made by the Provincial Government under Section 70 of the Sind Irrigation Act, 1879;	
(c) by a person taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for repayment of such advances;	
(d) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.	
58. Settlement—	
A—Instrument of (including a deed of dower)—	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of property settled as set forth in such settlement.
<i>Exemption—</i>	
Deed of dower executed on the occasion of marriage between Muhammadens.	

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
B-Revocation of—	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument of revocation but not exceeding thirty rupees.
<i>See also</i> Trust (No. 64).	
59. Share Warrants to bearer issued under the Companies Act, 1956.	One and a half times the duty payable on a mortgage deed with possession [No. 40(a)] for an amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.
<i>Exemption:</i>	
share warrant when issued by a company in pursuance of the Companies Act, 1956, Section 114, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of Stamp revenue of—	
(a) one and a half per centum of the whole subscribed capital of the company; or	
(b) if any company which has paid the said duty or composition in full subsequently issues an addition to its subscribed capital—	
one and a half per centum of the additional capital so issued.	
60. Shipping Order	Five rupees.
61. Surrender of Lease—	
(a) when the duty with which the lease is chargeable does not exceed ten rupees;	The duty with which lease is chargeable.
(b) in any other case.	Fifteen rupees.
<i>Exemption—</i>	
surrender of lease, when such lease exempted from duty.	
62. Transfer (Whether with or without consideration)—	
(a) of shares in an incorporated company or other body corporate;	As in Schedule I.
(b) of Debenture being marketable securities, whether debenture is liable to duty or not except as provided for by Section 8;	One half of the duty payable on a debenture (No. 27) for consideration equal to the face amount of the debenture.
(c) of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance—	The duty with such bond, mortgage deed, or policy or insurance is chargeable subject to a maximum of Five hundred rupees.
(d) of any property under the Administrator-General's Act 1913, Section 25;	Fifty rupees.
(e) of any trust property without consideration from one trustee to another trustee or from a trustee to a beneficiary.	Fifty rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
<p><i>Exemptions:</i> Transfers by endorsement— (a) of a bill of exchange, cheque or promissory note; (b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile document of title to goods; (c) of a policy of insurance; (d) of securities of the Central Government. <i>See also Section 8—</i></p>	
63. Transfer of Leave by way of assignment and not by way of under lease.	The same duty as other conveyance (No. 23) as levied by this Act, for a consideration equal to the amount of the consideration for the transfer.
<p><i>Exemptions—</i> Transfer of any lease exempt from duty.</p>	
64. Trust— A. Declaration of-of or concerning any property when made by any writing not being a Will.	The same duty as on a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument but not exceeding Forty five rupees.
B. Revocation of, or concerning any property when made by any instrument other than a Will.	The same duty as on a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned as set forth in the instrument but not exceeding Thirty rupees.
<p><i>See also settlement (No. 58).</i> <i>Valuation—See Appraisalment (No. 8) Vakil—See Entry as Vakil (No. 30).</i></p>	
65. Warrant for Goods, that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	Five rupees

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 1998

(Punjab Act No. 17 of 1998)

AN
ACT

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement: (1) This Act may be called the Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1998.
(2) It shall come into force at once.
2. Amendment of Schedule I-A to Central Act 2 of 1899. In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Punjab, in Schedule I-A.
 - (i) in entry 1, under the column captioned as "Proper Stamp Duty" for the words, "Five rupees", the words "Fifty rupees" shall be substituted;
 - (ii) in entry 4, under the column captioned as "Proper Stamp Duty", for the words, "Five rupees", the words "Fifty rupees" shall be substituted;
 - (iii) for entry 5, the following entry shall be substituted, namely:—
5. Agreement or Memorandum of an Agreement.

Description of Instrument	Proper Stamp-duty
(a) if relating to the sale of a bill of exchange;	Twenty five rupees
(b) if relating to the sale of a Government Security or share in incorporated company or other body corporate;	Five rupees for every ten thousand or part thereof of the value of the security or share.
(c) if relating to the sale of immovable property;	Three hundred rupees.
(d) if not otherwise provided for;	Fifteen rupees.
Exemptions :	
Agreement or Memorandum of Agreement-	
(a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note of Memorandum chargeable under entry No. 43; and	
(b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan” ;	
(iv) for entry 10, the following entry shall be substituted, namely:—	
“10. Articles of Association of a Company-	
(a) when the authorized capital of the company does not exceed one lac; and	Five hundred rupees
(b) in other cases	One thousand rupees
Exemptions :	
Articles of any Association not framed for profit and registered under Section 25 of the Companies Act, 1956.	
See also Memorandum of Association of a Company (entry No. 39) . ”;	
(v) for entry 48, the following entry shall be substituted, namely:—	
“48. Power of Attorney as defined by section 2 (21), not being a proxy (entry No. 52)-	
(a) when extended for the sale purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents;	One hundred rupees.
(b) when required in suits or proceedings under Presidency Small Cause Courts Act, 1882;	One hundred rupees.
(c) when authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (a);	Three hundred rupees.
(d) when authorizing not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;	Three hundred rupees.
(e) when authorizing more than five but not more than ten persons to jointly and severally in more than one transaction or generally;	Six hundred rupees.
(f) when given for consideration and authorizing the attorney to sell any immovable property; and	The same duty as other conveyances (entry No. 23) as levied by this Act for the amount of consideration.
(g) in any other case	Seventy five rupees.
	N.B.—The term “registration”, includes every operation, incidental to registration under the Registration Act, 1908.

Explanation :— For the purpose of this article, more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.”